



भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय,
2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011
Government of India, Ministry of Home Affairs
Office of the Registrar General, India,
2/A, Man Singh Road, New Delhi-110011

सं. 9/36/2017-सीडी (सेन)

दिनांक: 22 दिसम्बर, 2017

भारत की जनगणना 2021 – परिपत्र सं.1

विषय: जनगणना, 2021 के लिए योजना – क्षेत्राधिकार परिवर्तन तथा जिलों, तहसीलों/तालुकों/पुलिस थानों, सी.डी. ब्लॉकों, गांवों और नगरों की सूची का संकलन।

भारत में समय-समय पर यथासंशोधित जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियमावली, 1990 के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना का आयोजन किया जाता है। भारत की अगली दशकीय जनगणना वर्ष 2021 में होनी है तथा यह वर्ष 1881 से चली आ रही शृंखला में 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। यह राष्ट्रीय महत्व का एक वृहद कार्य है। पूर्ववर्ती जनगणनाओं के समान ही कार्य के प्रत्येक चरण को अत्यधिक सावधानी के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना है।

2. जनगणना का मुख्य उद्देश्य बिना किसी व्यक्ति को छोड़े तथा बगैर दोहराव के देश के सभी व्यक्तियों की गणना करना है। संपूर्ण देश में अगली जनगणना से काफी समय पहले सभी प्रादेशिक इकाइयों की पूर्ण और अद्यतन सूची तैयार किया जाना अपेक्षित है। यह स्वतः स्पष्ट है, इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र जिलों में विभाजित होता है, प्रत्येक जिला, उप-जिलों/तहसीलों/तालुकों/पुलिस थानों/विकास खण्डों इत्यादि में और आगे जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों तथा शहरी क्षेत्रों में नगरों में विभाजित होता है। इसलिए जनगणना 2021 के संबंध में क्षेत्राधिकार परिवर्तन विषयक ऐसे सभी व्यौरों को एकत्र तथा संकलित किया जाना, जनगणना की तैयारी संबंधी एक महत्वपूर्ण कार्य है जोकि जनगणना 2011 के पश्चात अब तक हुए हैं तथा जोकि इसके पश्चात जनगणना 2021 के संबंध में प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिसीमन अर्थात् 31 दिसम्बर, 2019 तक होंगे। क्षेत्राधिकार परिवर्तनों में नीचे सूचीबद्ध परिवर्तनों में से कोई भी हो सकते हैं:

- क) नए जिलों का सृजन
- ख) पहले से विद्यमान जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन
- ग) पहले से विद्यमान जिलों की अधिसूचना रद्द करना
- घ) नए उप-जिलों का सृजन
- ङ) पहले से विद्यमान उप-जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन
- च) पहले से विद्यमान उप-जिलों की अधिसूचना रद्द करना
- छ) विद्यमान गांव को बांटकर/मिलाकर नए गांव का सृजन
- ज) पहले से विद्यमान नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन
- झ) क्षेत्रों को नगर से अलग करना

- ज) नए नगर की अधिसूचना
- ट) विद्यमान नगर की अधिसूचना रद्द करना
- ठ) उक्त इकाइयों के नाम/वर्तनी में परिवर्तन
- ड) नगर की वार्ड सीमाओं में परिवर्तन
- ढ) क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य कोई परिवर्तन

3. जनगणना 2011 के पश्चात प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में क्षेत्राधिकार संबंधी अनेक परिवर्तन हुए होंगे तथा जनगणना 2021 के लिए सीमाओं के परिसीमन की तारीख तक और परिवर्तन हो सकते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में तथा सभी जनगणना कार्य निदेशालयों को दिनांक 01.07.2015 के पत्र संख्या 9/65/2014-सीडी(सेन) के माध्यम से संप्रेषित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य निदेशालय राज्य सरकार के संबंधित विभागों से विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्राधिकार परिवर्तन संबंधी अधिसूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2019 तक जारी रहेगी। अब जनगणना कार्य निदेशालयों से भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के दिनांक 01.07.2015 के पत्र संख्या 9/65/2014-सीडी(सेन) के माध्यम से यथासंप्रेषित 'के स्थान पर यह पढ़ा जाए' विवरण सहित 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार क्षेत्राधिकार परिवर्तनों के ब्यौरे (01.01.2010 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिए) निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र 'क' से 'ड.' अनुलग्नक-I में तथा सारांश शीट अनुलग्नक-II में) में 31.01.2018 तक सॉफ्ट (एक्सेल में) और हार्ड प्रतियों में दोनों प्रकार से भिजवाया जाना अपेक्षित है। 01.01.2018 से 31.12.2019 तक की अवधि की समान जानकारी 31.01.2020 तक उपलब्ध करवाई जानी है जोकि 31.12.2019 तक के क्षेत्राधिकार संबंधी परिवर्तनों का पूरा लेखा-जोखा उपलब्ध करवाएगी।

4. गांवों की पूर्ण सूची राज्य के राजस्व विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए तथा जनगणना 2011 के गांवों की सूची के साथ इसका मिलान किया जाना चाहिए। गांवों की सूची में न केवल बसे हुए गांवों को बल्कि ऐसे गांवों, जोकि वीरान हैं तथा छोटे गांवों(हैमलेट), यदि कोई हों, को भी शामिल किया जाना चाहिए। छोटे गांवों (हैमलेट) सहित गांवों की संपूर्ण सूची प्राप्त करने की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रत्येक तहसीलदार अथवा उप-जिला स्तर के संबंधित प्राधिकारी को सूची में सभी प्रकार के परिवर्तनों यथा नए गांव (वों) का सृजन या विलोपन, नामों में परिवर्तन, यदि कोई हों, इत्यादि चिह्नित करने के अनुरोध सहित जनगणना 2011 के उपलब्ध उप-जिला स्तरीय नक्शों के साथ मास्टर निर्देशिका के अनुसार गांवों की वर्ष 2011 की सूची की प्रति भेजी जाए। उनसे उप-जिला नक्शे पर नए गांव (वों), यदि कोई हों, की अवस्थिति इंगित करने का अनुरोध भी किया जाए। सभी संबंधित राज्य प्राधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए यह संदेश भी भेजा जाए कि विगत में उप-जिला स्तर के कतिपय संबंधित अधिकारियों द्वारा गांव सूची में वास्तविक गांव (वों) को शामिल न करने और/अथवा गांव के सही नाम की सूचना न देने के कारण अनेक न्यायालयीय मामलों का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार जनगणना 2021 के संबंध में उप-जिलों में गांवों की सही और अद्यतन सूची तैयार करने का दायित्व संबंधित उप-जिला स्तरीय अधिकारियों का होगा।

5. जहां तक नगरों की सूची को अद्यतन करने का संबंध है, यह सुविदित है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के भीतर समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचनाओं के माध्यम से स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं इत्यादि का गठन करती हैं। ये अधिसूचनाएं ऐसे क्षेत्रों का निरूपण करती हैं जिनसे गांवों अथवा उनके हिस्सों की नगरीय सीमाओं का पता चलता है। 2011 से लेकर अब तक की अवधि के बीच स्थानीय निकायों की सूची में जोड़ने और हटाने के रूप में अनेक परिवर्तन हुए होंगे। सभी जनगणना कार्य निदेशालय न केवल संबंधित राज्य सरकार के विभागों (स्थानीय स्व शासन विभाग) से ऐसे नगरों की सूची प्राप्त करें बल्कि नए बनाए गए/अधिसूचना से हटाए गए नगरों इत्यादि अथवा विद्यमान नगरों की सीमाओं में क्षेत्राधिकार परिवर्तन लाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां भी प्राप्त करें।

6. यह पुनः दोहराया जाता है कि जानकारी और अधिसूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2019 तक जारी रहेगी। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सभी ग्रामीण और शहरी प्रशासनिक इकाइयों की संपूर्ण सूची प्राप्त करने के पश्चात जनगणना कार्य निदेशालयों द्वारा उक्त सूचियों का जनगणना 2011 की मास्टर निर्देशिका तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी) के साथ

मिलान किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि एलजीडी एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार मेटा डाटा और डाटा स्टैंडर्ड (एमडीडीएस) कोड सहित सभी प्रशासनिक इकाइयां आधार के रूप में उपलब्ध हैं तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकारियों से नव सृजित प्रशासनिक इकाइयों अथवा प्रशासनिक इकाइयों में हुए कोई परिवर्तन अधिसूचना सहित अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। यह आशा की जाती है कि आम जनता के लिए उपलब्ध एलजीडी (www.lgdirectory.gov.in) वास्तविक समय के आधार पर प्रशासनिक इकाइयों की अद्यतन सूची के संबंध में एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगी। जनगणना कार्य निदेशालय एलजीडी का उपयोग जनगणना 2021 के संबंध में प्रशासनिक इकाइयों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए जानकारी के रूप में करेंगे तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दी गई सूची और स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के बीच की विसंगतियों, यदि कोई हों, को संबंधितों के ध्यान में लाया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। वर्तनी (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) सहित गांवों/नगरों में वार्ड/नगरों की सूची को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों से अधिप्रमाणित/प्रमाणित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जनगणना की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे वन्य गांवों/बस्तियों, जोकि राजस्व रिकार्डों में नहीं पाई गई हों, की सूची वन्य प्राधिकारियों से प्राप्त करके गांवों की सूची में जोड़ी जाए। इसके पश्चात जनगणना 2021 के फील्ड कार्यों के लिए चार्ज रजिस्टर तैयार किए जाएं।

7. कृपया सभी जनगणना कार्य निदेशालय ध्यान दें कि इन सूचियों के आधार पर ढांचा तैयार करने में किसी भी प्रकार की अपूर्णता के गंभीर परिणाम होंगे। प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में गांव और नगर तक सभी स्तरों में प्रशासनिक इकाइयों का ढांचा अद्यतन करने में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाए। उक्त कार्य उपयुक्त रूप से और शीघ्रता से करने के लिए यह वांछनीय है कि जनगणना कार्य निदेशालय में इस संबंध में सभी संबंधित जानकारी की निगरानी करने और क्षेत्राधिकार परिवर्तनों संबंधी अधिसूचनाओं के एकत्रण तथा अनुवर्ती अपेक्षित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को नामित किया जाए।

8. सभी जनगणना कार्य निदेशालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सभी स्तरों पर क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को अंतिम रूप देने के लिए गंभीरतापूर्वक आवश्यक प्रयास करें तथा इस संबंध में दिए गए निर्देशों का नियमित आधार पर पालन करें।

संलग्नक: अनुलग्नक I और II

५१५

(संजय)

उप महानिदेशक

सेवा में

सभी जनगणना कार्य निदेशालय

प्रतिलिपि:

1. सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव, सूचनार्थ तथा सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए।
2. सभी जिला मजिस्ट्रेट (जनगणना कार्य निदेशालयों के माध्यम से)।
3. भाषा प्रभाग कोलकाता सहित सभी प्रभागों के प्रमुखों को।
4. संयुक्त निदेशक (रा.भा.)।
5. भारत के महारजिस्ट्रार के निजी सचिव।
6. अपर महारजिस्ट्रार के निजी सचिव।
7. गार्ड फाइल।